71

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1075-चार/2008 -, विरूद्ध आदेश दिनांक 3-9-2008 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 1169/2006-07 अपील

मोहनलाल पुत्र चन्द्रमणि प्रसाद मिश्रा
ग्राम धुरेहटी तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1- मोहनलाल पुत्र रामधनी
2- चन्द्रिकाप्रसाद पुत्र रामधनी
3- अरूणकुमार पुत्र रामधनी
4- महिला साधना पत्नि स्व. रामधनी
सभी ग्राम धुरेहटी तहसील हुजूर जिला रीवा ---अनावेदक

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 25-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1169/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ़

तहसील हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 11 अ 6 अ/03-04 में पारित आदेश दिनांक 27-12-2003 से अनावेदकगण के स्वत्व की भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर के समक्ष अपील की गई। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 99 अ-6-अ/ 2003-04 में पारित आदेश दिनांक 21-6-2007 से अपील समयवाह्य होना मानकर निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 1169/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-08 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21-6-07 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण गुणदोष के आधार पर सुनवाई उपरांत आदेश पारित करने हेतु वापिस किया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के प्रकरण क्रमांक 99 अ-6-अ/ 2003-04 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ़ के प्रकरण क्रमांक 11 अ 6 अ/03-04 में पारित आदेश दिनांक 27-12-2003 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष दिनांक 4-3-2004 को अपील प्रस्तुत हुई है अर्थात अपील प्रस्तुत करने में 66 दिन का विलम्ब है जबकि तत्समय प्रचलित नियमों में अपील प्रस्तुत करने हेतु 45 दिवस की अवधि निर्धारित रही है इस प्रकार 21 दिवस का विलम्ब है जिसे अत्याधिक विलम्ब की श्रेणी में मानकर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील निरस्त करने में भूल की गई है।

1. **नंदकिशोर बनाम स्टेट आफ पॅजाब जे0टी0 1995 (7) सु0को0 69 का न्याय दृष्टांत है कि प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर 31 वर्ष का विलम्ब क्षमा किया जाना उचित है।**
2. **मान0उच्च न्यायालय व्दारा म0प्र0राज्य विरूद्ध गुलाबचंद 1996 रा0नि0 251 एंव परगनिया विरूद्ध फुलेश्वर 1996(1) म0प्र0वीकली नोट्स**

164 में व्यवस्था दी है कि सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की अपेक्षा नहीं की जाना चाहिये। पर्याप्त कारण का अर्थान्वयन उदारतापूर्वक करना चाहिए।

3. अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 सहपठित अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्धांत अंतर्ग्रस्त हो, तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)

फलस्वरूप अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 1169/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-08 सही निष्कर्षो पर आधारित है जिसके कारण ऐसे आदेश में हस्तक्षेप करना मुनासिव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 1169/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-9-08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर